न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

दाखिल खारिज रिभिजन वाद संख्या– 04/2012 / 13/2013

महेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम गायत्री देवी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर क गई कार्रवाई बारे में टिप्पण तारीख–सहि 3.
30.07.2018	**आदेश** अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित किया गया। प्रस्तुत दाखिल खारिज रिभिजन वाद् आवेदक महेन्द्र प्रसाद सिंह पे0–श्री लूरी सिंह, साकिन–पनसलवा, थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के दाखिल खारिज अपील संख्या–06/2012 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2012 के विरूद्ध रिभिजन वाद दाखिल खारिज अधिनियम की धारा–16 के अन्तर्गत दाखिल किया है। आवेदक की ओर से निवेदन किया गया कि अंचल अधिकारी, बेलदौर के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–56/2010–11 विहित प्रक्रिया अपनाकर आवेदक के पक्ष में दाखिल खारिज स्वीकृति दी गई है एवं जमाबंदी संख्या–793 कायम किया गया। किन्तु उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किया गया उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा प्रतिवादीगण गायत्री देवी के मौखिक कथन के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। इसलिए उसे खारिज करने का निवेदन किया है। सरकारी विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनकी ओर से निवेदन किया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश यथोचित है। क्योंकि आदेश के विश्लेषण से यह स्वतः स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, बेलदौर के द्वारा दाखिल खारिज से पूर्व दाखिल खारिज वाद संख्या–56/2010–11 में भूधारी सुदामा देवी को पक्षकार बनाकर नोटिस निर्गत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंचल अधिकारी, बेलदौर के द्वारा दाखिल खारिज अधिनियम–14(2) का भी अनुपालन नहीं किया गया। यहाँ तक कि उनके द्वारा न तो स्थल जाँच किया गया है और न ही मूल केवाला के आधार पर दाखिल खारिज किया गया है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा पारित प्रश्नगत विधि के अनुकूल है।	

आदेश का क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3

उपरोक्त तथ्यों के सम्यक विवेचनोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि आवेदक रिभिजनकर्त्ता के द्वारा प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार के वैधानिक त्रुटि या साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहें। वस्तुतः निम्न न्यायालय का आदेश तार्किक एवं तथ्यों पर आधारित है, जिसमें किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः दाखिल खारिज रिभिजन वाद खारिज किया जाता है, तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा दाखिल खारिज अपील संख्या–06/2012 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2012 को यथावत रखा जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। कार्यालय आदेश निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।